राजस्थान सरकार
वित्त (कोष एवं लेखा) विभाग

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए/IFMS 3.0/AR/ 378 दिनांक 04/5/2026

विभागाध्यक्ष
समस्त।

विषयः– **महालेखाकार कार्यालय द्वारा कोषालयों के निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों के संबंध में।**

महोदय,

विषयान्तर्गत महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक को.नि.प्र./मीटिंग/दिशा–निर्देश/के–123/2025–26 दिनांक 09.04.2026 के द्वारा वेतन बिलों की जाँच के दौरान पाई गई अनियमितताओं से अवगत करवाया गया है। IFMS सिस्टम में राज्य बीमा, जीपीएफ, RGHS की कटौतियों एवं मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर क्षतिपूर्ति भत्ता आदि भुगतान के संबंध में आवश्यक Validations लगाये गए हैं।

सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के नियम–157 के अनुसार बिलों से नियमानुसार कटौतियाँ किए जाने तथा नियम–223 के अनुसार कार्मिकों को किए जाने वाले भुगतानों हेतु आहरण वितरण अधिकारी ही उत्तरदायी होते हैं। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–I के नियम 12 के अनुसार प्रत्येक बजट नियंत्रण अधिकारी उसके अधीनस्थ कार्यालयों के वित्तीय कार्यों में गलतियों व अनियमितताओं को रोकने के लिए उचित तंत्र एवं आंतरिक जाँच की व्यवस्था के लिए उत्तरदायी होता है।

IFMS System विभागों/डीडीओ को बिल जनरेट करने एवं भुगतान के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाता है तथा यथा संभव System defined validations लागू करने पर भी विभागीय नियमों की विविधता के कारण अनियमित आहरण को पूर्णतः रोकने में आहरण वितरण अधिकारी स्तर पर अपेक्षित जाँच/सतर्कता का स्थान महत्वपूर्ण है। IFMS पर बिलों के आहरण पर भी राशि के सही दावे/कटौती का उत्तरदायित्व संबंधित आहरण वितरण अधिकारी का ही है।

अतः जिन विभागों में Hard Duty Allowance, मैस भत्ता, पटवारी को देय भत्ता या अन्य ऐसे भत्ते जो विभाग विशिष्ट भत्ते (Department specific allowances) हैं तथा सभी विभागों में समान रूप से लागू नहीं हैं, उन विभागों से यह अपेक्षा है कि वर्तमान में IFMS सिस्टम में यथा संभव लागू किए गएं Validations के अनुसार बनाये जा रहे वेतन बिलों (जिन सेवा संवर्ग एवं जिन दरों पर भत्ते देय हैं) की जाँच विभाग/कार्यालय के विज्ञ अधिकारी से करवायी जाए। यदि किसी प्रकार की विसंगति पायी जाती है तो संबंधित नियमों/आदेशों की प्रति के साथ विज्ञ अधिकारी/कर्मचारी को इस कार्यालय से सम्पर्क हेतु निर्देशित करें ताकि इन भत्तों के संबंध में भी IFMS सिस्टम पर नियमानुसार आहरण/कटौती के Validations का प्रावधान संभव हो सके। उक्त भत्तों के भविष्य में संशोधन की स्थिति में समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार IFMS सिस्टम में आवश्यक प्रावधान विभाग द्वारा कराए जाएँ तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों को नियमों के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण जाँच के उपरान्त ही बिल कोषालय भेजने के लिए निर्देशित किया जाए।

भवदीया

4/5/2026

(संध्या शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

ए–ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर
Website - dta.rajasthan.gov.in
e-mail Id- Jdb-ta-rj@nic.in
Fax – 2742309, Tel- 0141-2743752

क्रमांकः एफ.5(थ–75)डीटीए / IFMS 3.0/AR/ 379–81 दिनांक 04/5/2026

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. वरिष्ठ उपमहालेखाकार (लेखा), प्रधान महालेखाकार कार्यालय, जयपुर।
2. कोषाधिकारी, समस्त।
3. संयुक्त निदेशक (कम्प्यूटर), वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को साइट पर अपलोड करवाने हेतु।

अतिरिक्त निदेशक एवं पदेन
परियोजना निदेशक (IFMS)